संख्या-01/2016-1206/नौ-5-2016-193बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 06 अप्रैल, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मथुरा स्थित गोकुल बैराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित राजस्व ग्रामों में भूमि प्रतिकर के भुगतान हेतु अपेक्षित धनराशि की आगामी किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-306/2015/4832/नौ-5-2015-193बजट/2015 दिनांक 14.09.2015, शासनादेश संख्या-314/2015/5604/नौ-5-2015-193बजट/2015 दिनांक 24.09.2015 एवं शासनादेश संख्या-330/2015/5938/नौ-5-2015-193बजट/2015 दिनांक 02.11.2015 एवं संख्या-360/2015/6710/नौ-5-2015-193बजट/2015 दिनांक 22.12.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **मथुरा स्थित गोकुल बैराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित 11 राजस्व ग्रामों में से 06 राजस्व ग्रामों की अवशेष भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु** वित्तीय वर्ष 2016-17 में **रू. 295.00 करोड़ (रू. दो अरब पिचान्वे करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि जिलाधिकारी, मथुरा के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के सर्वे तथा अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते व्यय की जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए खाते में नहीं रखा जायेगा।
3. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्ते निर्धारित की गयीं थी, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद को दिनांक 31.10.2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
6. उक्त धनराशि का उपयोग मा0न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में किया जायेगा।

2. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत **"लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-800-अन्य व्यय-03-गोकुल बैराज डूब क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के प्रतिकर का भुगतान-24-वृहद निर्माण"** कार्य के नामे डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-01/2016/1206(1)/नौ-5-2016-193बजट/2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, आगरा।
4. जिलाधिकारी, मथुरा/इलाहाबाद।
5. कोषाधिकारी, मथुरा/इलाहाबाद।
6. भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मथुरा।
6. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. मुख्य अभियंता(गंगा), सिंचाई विभाग,उ.प्र.मेरठ/अधीक्षण अभियंता, तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य, आगरा/ अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
11. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
12. सुपर यूजर नगर विकास विभाग।
13. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।